कार्यालय कलेक्टर सीहोर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश

क्रमांक 9099/खनिज शाखा/2019 सीहोर, दिनांक 07 जनवरी 2019

प्रति,

1-- श्री गणेशराम कुशवाह
सरपंच, ग्राम पंचायत
बड़गांव, तहसील नसरुल्लागंज

2-- श्रीमति मीना गौर
सरपंच,
ग्राम पंचायत जहाजपुरा
तहसील बुधनी

विषयः-- खनिज नीति का सही ढग से कियान्वयन न करने बावत।

आरोप है कि आपके द्वारा खनिज नीति का कियान्वयन सही ढग से नहीं किया जा रहा है। आज दिनाक 07 जनवरी 2019 को अवैध उत्खनन, परिवहन व भण्डारण के संबंध में आयोजित बैठक में आपको बुलाया गया था, परन्तु आप बैठक में अनुपस्थित रहे।

2-- आपके द्वारा जानबूझाकर बैठक में अनुपस्थित रहने व खनिज नीति के संबंध में सही ढग से कार्यवाही न करने से स्पष्ट है कि आप पंचायत संचालित करने में सक्षम नहीं हैं। अतः आपको तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए सरपंच पद के प्रभार से हटाया जाता है तथा आगामी आदेश तक उक्त दोनों पंचायत के सरपंच पद का प्रभार संबंधित पंचायत के उप सरपंच को दिया जाता है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सीहोर तत्काल कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

3-- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीहोर धारा--40 के तहत प्रकरण स्थापित कर आगामी कार्यवाही करें।

कलेक्टर
जिला सीहोर

पृ.क्रमांक 9100/खनिज/2019 सीहोर, दिनांक 07 जनवरी 2019
प्रतिलिपिः--

1-- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीहोर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर
जिला सीहोर

कार्यालय जिला पंचायत सीहोर, जिला सीहोर (म.प्र.)

आईएसओ 9001:2008 प्रमाणित , Email-id ceozpseh@mp.gov.in Phone no. 07562-224351

पत्र क्र./1024 /पंचा.प्रको./2019 सीहोर, दिनांक 28/01/2019

--:: आदेश ::--

श्रीमति मीना गौर, सरपंच(निलंबित), ग्राम पंचायत जहाजपुरा, जनपद पंचायत बुधनी को कार्यालय कलेक्टर, जिला सीहोर के पत्र क्रमांक 9099 दिनांक 07.01.19 से अवैध उत्खनन, परिवहन व भण्डारण हेतु जनपद पंचायत बुधनी में आयोजित बैठक में अनुपस्थित रहने के कारण सरपंच पद से निलंबित कर प्रभार से हटाया गया था। श्रीमति गौर द्वारा प्रस्तुत कारण बताओं सूचना पत्र के उत्तर में गंभीर रूप से बीमार होने एवं संलग्न चिकित्सा प्रमाण पत्र से पुष्टि होने एवं खनिज अधिकारी के पत्र क्र. 9265 दिनांक 24.01.19 से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर श्रीमति मीना गौर को निलंबन से बहाल किया जाता है। श्रीमति गौर, ग्राम पंचायत के प्रभार में रहेंगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

28/01/19

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत सीहोर

पृ.क्रं./ 1025 /पंचा.प्रको./2019 सीहोर, दिनांक 28/01/2019

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, जिला सीहोर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बुधनी की ओर सूचनार्थ एवं आदेश तामीली हेतु।
3. उप सरपंच, ग्राम पंचायत जहाजपुरा, जनपद पंचायत बुधनी की ओर सूचनार्थ।
4. संबंधित श्रीमति मीना गौर, सरपंच, ग्राम पंचायत जहाजपुरा, जनपद पंचायत बुधनी की ओर पालनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत सीहोर

125